मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय: वल्लभ भवन, भोपाल-462002.

क्रमांक 191 /2000/सी/चार, भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय सेवकों को निजी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के संबंध में योजना।

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ हुई बैठकों में प्राप्त सुझाव को ध्यान में रखते हुए, निजी वित्तीय संस्थाओं से आवासीय ऋण प्राप्त करने के संबंध में एक योजना तैयार की गयी है, जो इस आदेश के साथ संलग्न है। कृपया योजना की जानकारी सभी शासकीय सेवकों के ध्यान में लायी जावे ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी निजी वित्तीय संस्थाओं गृह निर्माण ऋण प्राप्त करने की इस योजना का लाभ उठा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 2000

पृ0 क्रमांक 192 /2000/सी/चार,
प्रतिलिपि : -

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल ।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल ।
8. मुख्य लेखा अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
9. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल
10. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय-85/61, तुलसी नगर, भोपाल।

11. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय-12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल ।
12. प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, 6/45, बंगले, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल ।
13. महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल ।
14. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, विन्ध्याचल भवन के पीछे, बेसमेन्ट, भोपाल ।
15. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85 तुलसी नगर, भोपाल ।
16. अध्यक्ष, म.प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल ।
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
18. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

(एम.पी. व्यास)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण/क्रय के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना।

योजना का नाम- यह योजना शासकीय सेवको को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निमार्ण/क्रय के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना कहलायेगी।

उद्देश्य:- इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण/फ्लैट क्रय के लिए ऋण की व्यवस्था करना है।

2. प्रारंभ:- यह योजना 1 जनवरी, 2000 से प्रारंभ होगी तथा 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रभावशील होगी।

3. विस्तार- यह योजना निम्नांकित वर्गो को छोड़कर राज्य शासन के समस्त स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होगी:-

(अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी।
(ब) दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी।
(स) पुनर्नियुक्त अथवा सेवावृद्धि प्राप्त कर्मचारी।
(द) शासन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी।

4. पात्रता:- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्था से दिये जाने वाले ऋण पर राज्य शासन की अनुशंसा हेतु निम्नांकित शर्तों का पालन आवश्यक होगा:-

1. कर्मचारी स्थायी पद पर कार्यरत हो। यदि अस्थायी कर्मचारी हो तो उसके आगामी कम से कम 15 वर्ष तक निरंतर रहने की संभावना हो।
2. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में कम से कम 15 वर्ष शेष हो।
3. कर्मचारी के स्वयं के अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर राज्य में कोई आवास न हो।
4. कर्मचारी के ऊपर उसके वेतन से काटे जाने योग्य राशियां, उसके मूल वेतन के 10% से अधिक न हो।

5. ऋण की राशि:- इस योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1062/98/ब-6/चार, दिनांक 23 सितम्बर, 98 में निर्धारित सीमा तक आवास ऋण प्रदान करने की सहमति दी जा सकेगी। यदि किसी शासकीय सेवक ने कुछ आवास ऋण शासन से ले रखा है तो उसे राज्य शासन द्वारा दर्शायी गई लागत सीमा तक के अंतर की राशि ऋण के रूप में वित्तीय संस्था से लेने की पात्रता होगी तथा इसके लिये वह सम्पत्ति पर द्वितीय प्रभार निर्मित कर सकेगा। ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण अदायगी की मासिक किस्त उसके कुल वेतन के 60% से अधिक नहीं होगी। परंतु यदि पति-पत्नी दोनों शासकीय सेवा में कार्यरत हो तो यह सीमा उसके कुल वेतन के 75% तक हो सकती है।

6. आवेदन की प्रक्रिया:- वित्तीय संस्थाओं से राज्य शासन के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए शासकीय सेवक को संलग्न प्रपत्र-1 में आवेदन पत्र देना होगा। यह आवेदन पत्र द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक के मामलें में कार्यालय प्रमुख एवं प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामलें में विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। परंतु यदि कार्यालय प्रमुख द्वितीय श्रेणी अथवा उसके निम्न श्रेणी के हो तो उनके आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

7. आवेदन पत्र की जांच:- वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की स्वीकृति देने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन पत्र की जांच की जाय:-

1. कर्मचारी स्थायी पद पर कार्यरत हो। यदि अस्थायी कर्मचारी हो तो उसके आगामी कम से कम 15 वर्ष तक निरंतर रहने की संभावना हो।
2. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में कम से कम 15 वर्ष शेष हो।
3. कर्मचारी के स्वयं के अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर राज्य में कोई आवास न हो।
4. कर्मचारी के ऊपर उसके वेतन से काटे जाने योग्य राशियां उसके मूल वेतन के 10% से अधिक न हो।

8. ऋण अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी:- द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक के मामले में कार्यालय प्रमुख एवं प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले में विभागाध्यक्ष ऋण सहमति देने में सक्षम होगे। परंतु यदि कार्यालय प्रमुख द्वितीय श्रेणी अथवा उसके नम्र श्रेणी के हो तो उनके आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा बिन्दु क्रमांक 7 दिये गये तथ्यों की जांच के उपरांत, मापदण्डों की पूर्ति होने पर प्रपत्र-2 में संबंधित शासकीय सेवक को अनुमति दी जावेगी।

9. ऋण - किस्तों की वापसी :- सामान्यत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा किस्त की वापसी सीधे संबंधित ऋण ग्रहीता से प्राप्त की जाती है। परंतु यदि शासकीय सेवक द्वारा प्रपत्र तीन में सहमति दी जाती है तो संबंधित शासकीय सेवक के वेतन से आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था को ड्राफ्ट द्वारा किस्त की राशि भुगतान की जा सकेगी। किस्त की राशि की वसूली वेतनदेयक से कटौती कर नही की जायेगी, अपितु कर्मचारी को भुगतान किये जाने वाले वेतन से की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट का कमीशन एवं डाक व्यय के भार का वहन संबंधित शासकीय सेवक/ऋण प्रदायकर्ता संस्था द्वारा किया जावेगा, जिसकी स्पष्ट सहमति उक्तानुसार व्यवस्था प्रारंभ करने के पूर्व शासकीय सेवक/ऋण प्रदाय कर्ता संस्था द्वारा दी जानी होगी।

10. अपील:- यदि किसी शासकीय सेवक के आवेदन पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा अमान्य किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित शासकीय सेवक द्वारा आवेदन पत्र अमान्य होने के 3 माह के भीतर बिन्दु क्रमांक-8 में उल्लिखित सक्षम अधिकारी के अगले उच्च अधिकारी को अपील की जावेगी।

प्रपत्र-1

प्रति,

विषय:- ---------- वित्तीय संस्था से गृह निर्माण/क्रय हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र।

मुझे ---------- वित्तीय संस्था से गृह निर्माण/क्रय हेतु ऋण लेना है। इस संबंध में संबंधित वित्तीय संस्था ने अपनी सहमति प्रदान की है, जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

2. मैं ऋण की पात्रता के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता हूं/करती हूं:-

1. मै राज्य शासन का/की स्थायी/अस्थाई कर्मचारी हूं। तथा मेरी अधिवार्षिकी आयु के लिए 15 वर्ष शेष है। मेरे द्वारा ----- वर्ष की निरंतर सेवा की गयी है।

2. मेरा स्वयं का अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर राज्य में कोई आवास नहीं है।

3. मै यह भी कथन करता/करती हूं कि मेरे द्वारा पूर्व में शासन से लिए गये ऋण/अग्रिमों के विरूद्ध मेरे वेतन से काटे जाने योग्य कुल राशि मेरे मूल वेतन के 10% से अधिक नहीं है।

4. मै यह भी कथन करता/करती हूं कि संबंधित वित्तीय संस्था को मेरे द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर ऋण किस्तों की अदायगी की जावेगी। इस ऋण की अदायगी हेतु शासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

5. उपरोक्तानुसार ऋण की अदायगी मेरे द्वारा न करने पर शासन द्वारा मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान----------

दिनांक----------

हस्ताक्षर

नाम ----------

पदनाम ----------

कार्यालय का नाम ----------

प्रपत्र-2

प्रति,

श्री/श्रीमती ----------

पद नाम ----------

कार्यालय का पता ----------

विषय:- ---------- वित्तीय संस्था प्लाट क्रय करने /भवन निर्माण के लिए ऋण लेने की अनुमति पत्र।

आपके द्वारा प्लाट क्रय करने /भवन निर्माण के लिए ---------- (वित्तीय संस्था का नाम) से रूपये --------- (अंको में) ---------- (शब्दों में) ऋण लेने के लिए अनुमति चाही गयी है। उक्त वित्तीय संस्था से ऋण लेने की निम्नलिखित शर्तो पर सहमति दी जाती है:-

(क) यदि ऋण लेने के लिए गिरवी रखी जाने वाली सम्पति पूर्व से शासन के पास गिरवी होगी तो ऋण प्राप्तकर्ता ---- शासन द्वारा निर्धारित पात्रता की सीमा तक शेष रहे ऋण के राशि के लिए द्वितीय प्रभार निर्मित कराया जा सकेगा।

(ख) ऋण की वसूली के संबंध में शासन की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी।

(ग) यदि ऋण ग्रहिता द्वारा पूर्व में शासन से कोई ऋण/अग्रिम लिया गया है तो उसकी वसूली स्थगित नहीं की जावेगी।

(घ) ऋण ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि वह लिये गये ऋण की किस्तों का निर्धारित कार्यक्रमअनुसार समय पर भुगतान करे। ऐसा न करने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

*हस्ताक्षर ----------

अधिकारी का नाम ----------

पदनाम ----------

कार्यालय का नाम (पदमुद्रा सहित)

प्रपत्र-3

सहमति पत्र

मैं ---------- पद नाम ---------- वर्तमान में----------
----------(कार्यालय का नाम और पता) में दिनांक ---------- से पदस्थ हूं। मेरे द्वारा प्लाट क्रय करने /भवन निर्माण के लिए ---------- (वित्तीय संस्था का नाम) से रूपये --------- (अंको में) ---------- (शब्दों में) ऋण लेने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली गयी है, जो संलग्न है। इस ऋण की वसूली ------- (किस्तों की संख्या) किस्तों में रू.---------- प्रति किस्त मासिक/त्रैमासिक/अर्द्ध वार्षिक की दर से की जायेगी।

मै अपने वेतन से उक्त ऋण की किस्तों की वसूली के लिए सहमत हूं तथा मैं कार्यालय को अधिकृत करता हूं कि इस राशि का भुगतान वित्तीय संस्था को ड्राफ्ट के द्वारा किया जावे। ड्राफ्ट द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर आने वाले समस्त वित्तीय व्यय का भुगतान देने के लिए मैं/*वित्तीय संस्था सहमत हूं/है।

* वित्तीय संस्था से सहमति पत्र संलग्न है।

*हस्ताक्षर ----------
कर्मचारी का नाम ----------
पिता/पति का नाम ----------
पदनाम ----------
कार्यालय का नाम ----------
दिनांक एवं स्थान----------

शाकेमुभो—2488—सचिवि—1-2-2000—1,000.